

रमन प्रीत कौर / सरकार  
236/25

21-12-25

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 की भावना से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआर.एक्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट हो चुकी है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अनुसंशा की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर चक 5 बी छोटी के खाता संख्या 111/67 मु.नं. 33 में प्रार्थीया रमनप्रीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह के स्थान पर रमनप्रीत कौर पुत्री रिछपालसिंह उर्फ रिशपाल सिंह किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करे।

*(Signature)*  
क-ए-935

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

*(Signature)*  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
श्रीगंगानगर

*(Signature)*  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
श्रीगंगानगर

*(Signature)*  
उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )  
श्री गंगानगर ( राज. )